D.M

छि-3 क्र. 01

बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट PHASE-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.897 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत विद्यमान विसंगतियों का परीक्षण करने के लिये दिनांक 26.06.2021 को वनमंडल कार्यालय बिलासपुर में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

वनमंडलाधिकारी बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय रायपुर का पत्र क्र./एफ 5–14/2020/10–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 21.05.2021 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ शासन, का पत्र क्र. /भू–प्रबंध/विविध/115–827/1166 दिनांक 05.06.2021 के परिपेक्ष्य में भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव में शासन के उक्त पत्र मे उल्लेखित विसंगतियों का निराकरण किये जाने हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 26.06.2021 को वनमंडल कार्यालय में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित रहें:–

1. श्री कुमार निशांत(भा.व.से.) वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर (छ.ग.)
2. श्री अभिषेक जोगावत(भा.व.से.) मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर (छ.ग.)
3. श्री डी.के.दास, उपमंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर (छ.ग.)
4. श्री मनीष कुमार देवांगन, प्रतिनिधि छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी(चिप्स) रायपुर(छ.ग.)
5. श्री डी.कुमार, प्रतिनिधि छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी(चिप्स) रायपुर(छ.ग.)
6. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, मानचित्रकार, वनमंडल कार्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
7. श्री हिमांशु सिंह चौहान, मानचित्रकार, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर (छ.ग.)

बिलासपुर जिले के बिलासपुर वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट PHASE-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 6.897 हे. वन भूमि का मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन प्रस्ताव अंतर्गत विद्यमान विसंगतियों के संबंध में शासन के पत्र क्र./F5-14/2020/10-2 दिनांक 27.05.2021 के विंदु क. 08 में उल्लेखित बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिस पर बिंदुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

बिंदु क. 08(I) :– मूल प्रस्ताव (पत्र दिनांक 18.08.2020 अनुसार) में दिया गया वनक्षेत्र विवरण अनुसार वन विकास निगम के अंतर्गत प्रभावित कुल 07 वन कक्ष है अथवा वन विकास निगम के पत्र क./3583 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कुल 18 वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत है।

मंडल प्रबंध, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक विभाग द्वारा सर्वप्रथम 07 वन कक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी थी, तदानुसार 07 वन कक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया था। तत्पश्चात् वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत 18 वन कक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी, जिसके आधार पर कार्यालयीन पत्र क्र./3583 दिनांक 12.03.2021 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

योजना अंतर्गत वन विकास निगम की कार्य क्षेत्र अंतर्गत केवल 18 वन कक्ष ही प्रभावित हो रहे है।

बिंदु क. 08(II) :– मूल प्रस्ताव (पत्र दिनांक 18.08.2020) में दिये गये वन क्षेत्र विवरण तथा वनमंडलाधिकारी के पत्र क./1385 दिनांक 01.03.2021 में दिये गये वन क्षेत्र विवरण में त्रुटियाँ परिलक्षित हो रही है।

योजना के मूल वन प्रकरण प्रस्ताव अंतर्गत वन क्षेत्र का रकबा 6.897 हे. है परंतु आवेदक विभाग द्वारा वनमंडलवार/परिक्षेत्रवार वन क्षेत्र के कक्षों का विवरण त्रुटिपूर्ण दर्शाया गया था। वनमंडल कार्यालय बिलासपुर के पत्र क्र./1385 दिनांक 01.03.2021 द्वारा उक्त त्रुटियों का सुधार करने हेतु आवेदक विभाग को निर्देशित किया गया।

बिंदु क. 08(III) :– प्रस्ताव में बार–बार पत्राचार के बावजूद आवेदित वन कक्षों की स्पष्ट स्थिति तथा वन विकास निगम से वांछित सही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं की जा रही है जिससे प्रकरण के निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है। कृपया संबंधितों को स्पष्ट निर्देश प्रस्तावित कर शीघ्र जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें।

आवेदक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व प्रस्ताव (दिनांक 18.08. 2020) में प्रस्तुत किया गया वन क्षेत्र का विवरण त्रुटिपूर्ण था। संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर (छ.ग.) के पत्र क्र. /551/समुकाअ/चिप्स/2021 दिनांक 09.03.2021 द्वारा सुधार कर जानकारी प्रस्तुत की गयी है।

उक्त पत्र द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार वनमंडल बिलासपुर के पत्र क्र./428 दिनांक 19.03.2021 द्वारा पुनरीक्षित जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। जिसमें वन कक्षों की स्थिति स्पष्ट है। तदानुसार वन विकास निगम के 18 वन कक्षों का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।

बिंदु क. 08(IV) :– पूर्व मूल प्रस्ताव में (पत्र दिनांक 18.08.2020) आवेदित वन क्षेत्र में आरक्षित वन का रकबा 2.925 हे., संरक्षित वन कक्ष का रकबा 2.739 हें., नारंगी वन क्षेत्र का रकबा 0.805 हे. तथा राजस्व वन रकबा.428 हे. या वहीं आपका संदर्भित पत्र क्र. 07 के माध्यम से प्रेषित वन क्षेत्र की वन में आरक्षित वन भूमि का रकबा 1.002 हे. संरक्षित वन भूमि का रकबा

4.720 हे., नारंगी वन भूमि का रकबा 0.474 हे. एवं राजस्व वन भूमि का रकबा 0.428 हे. दर्शाया गया है।

कृपया यह परीक्षण करें कि यह त्रुटि क्यों हुई ? क्या पूर्व में कराया गया DGPS सर्वे त्रुटिपूर्ण तो नहीं है तथा यदि एरिया स्टेटमेंट बदलना है तो क्षेत्र की पुनः DGPS सर्वे कराया जाने की आवश्यकता तो नहीं होगी ?

आवेदक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव के पुनः परीक्षण उपरांत मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर के अधीनस्थ वन कक्षों तथा सामान्य वन मंडल के वन कक्षों के विवरण में संशोधन के परिणाम स्वरूप वन भूमि के मदवार स्थिति में संशोधन किया गया है जो अंतिम रूप से निम्नानुसार है :–

कोटा परियोजना मंडल, व.वि.नि.लि. बिलासपुर	– 1.906 हे.
बिलासपुर वनमण्डल (सामान्य)	– 4.563 हे.
एवं राजस्व वन रकबा	– 0.428 हे.
आवेदित कुल वन भूमि का रकबा	– 6.897 हे.
मदवार स्थिति –	
आरक्षित वन भूमि का रकबा	– 1.002 हे.
संरक्षित वन भूमि का रकबा	– 4.720 हे.
नारंगी वन भूमि का रकबा	– 0.747 हे.
एवं राजस्व वन रकबा	– 0.428 हे.
आवेदित कुल वन भूमि का रकबा	– 6.897 हे.

उक्त प्रस्ताव में केवल वन कक्षों के परिक्षेत्र या वन भूमि के मद विवरण के सम्बन्ध में त्रुटि हुई है जिसे संशोधित किया जा चुका है। कक्षों के क्रमांक या प्रभावित वन भूमि के लंबाई तथा रकबा में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित नहीं हुई है अतः डी.जी.पी.एस. सर्वे पुनः कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

<u>बिंदु क्र. 08(V)</u> :– अतः प्रस्ताव का भलीभांति परीक्षण कर प्रस्ताव में प्रभावित हो रहे वन क्षेत्र आ रहे है, उनका सही–सही विवरण देते हुए 21 बिन्दुओं के चेकलिस्ट अनुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

बैठक में उपस्थित समस्त संबंधित अधिकारीगण द्वारा उपरोक्त बिंदुओं पर परीक्षण कर निर्णय लिया गया कि वन प्रकरण के मूल प्रस्ताव अंतर्गत विद्यमान विसंगतियों का समय–समय पर जो सुधार कार्य किया गया है तदानुरूप पुनरीक्षित प्रस्ताव आवेदक विभाग प्रस्तुत करें इसके लिये आवेदक विभाग के प्रतिनिधि द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त कर 21 बिंदुओं की चेकलिस्ट अनुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सकेगा।

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर(छ.ग.)

पृ.क्र./तक.अधि./2860 दिनांक 29/06/2021

प्रतिलिपि:–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू–प्रबंध/व.स.अ), छत्तीसगढ अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. मंडल प्रबंधक, कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर (छ.ग.)

वनमंडलाधिकारी
बिलासपुर वनमंडल बिलासपुर(छ.ग.)

O/C